संख्याः-आई/374336/2023

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्यायपशुचिकित्सा
विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान
संस्थान, मथुरा।

पशुधन अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांकः 23 अगस्त, 2023**

विषयः मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 24.02.2018 के क्रम में उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान, मथुरा में प्रारम्भ किये जाने वाले अन्डर ग्रेजुएट फिशरीज साइंस कोर्स के प्रथम वर्ष के लिए गैर शैक्षणिक पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-249/यूपीडीडीवीयू/आर/2023, दिनांक 04.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा में प्रारम्भ किये जाने वाले अन्डर ग्रेजुएट फिशरीज साइंस कोर्स के प्रथम वर्ष के लिए गैर शैक्षणिक पदों के सृजन का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-308/37-3-2019-5(07)/2018, दिनांक 25.07.2019 द्वारा उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा में प्रारम्भ किये जाने वाले अन्डर ग्रेजुएट फिशरीज साइंस कोर्स के समुचित संचालन हेतु प्रथम वर्ष के लिये कुल-18 शैक्षणिक पदों को सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय में कालेज आफ फिशरीज साइंस के अन्तर्गत अण्डर ग्रेजुएट फिशरीज कोर्स के समुचित संचालन हेतु प्रथम वर्ष के लिए निम्न विवरणानुसार कुल-14 गैर शैक्षणिक और 26 आउटसोर्सिंग के पदों को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तालिकाः-01

क्र0 सं0	प्रशासनिक विभाग का प्रस्ताव/पदनाम	वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स	पूर्व में सृजित पदों की संख्या	प्रस्तावित पदों की संख्या	शैक्षिक अर्हता	भर्ती का स्रोत	वित्त विभाग की संस्तुति
1	प्रबन्धक (हैचरी/ फिशरीज फार्म)	44900-142400 (लेवल-7)	--	01	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुसार	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती के माध्यम से किया जायेगा।
2	प्रयोगशाला प्राविधिक	29200-92300 (लेवल-5)	--	01	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुसार	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती के माध्यम से किया जायेगा।
3	प्रयोगशाला सहायक	21700-69100 (लेवल-3)	--	06	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुसार	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती के माध्यम से किया जायेगा।
4	आशुलिपिक	29200-92300 (लेवल-5)	--	01	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुसार	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती के माध्यम से किया जायेगा।
5	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए	25500-81100 (लेवल-4)	--	01	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुसार	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती के माध्यम से किया जायेगा।
6	सहायक स्टोर कीपर	19900-63200 (लेवल-2)	--	01	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुसार	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती के माध्यम से किया जायेगा।
7	कनिष्ठ सहायक	21700-69100 (लेवल-3)	--	03	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुसार	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती के माध्यम से किया जायेगा।
कुल पद				14			

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तालिकाः-02

क्र0सं0	सेवाओं की प्रकृति	स्रोत	अभ्युक्ति
1	08 फिशरमैन स्टाफ/01 प्लम्बर /01 वाहन चालक/03 स्वच्छक/12 सेवक/01 इलेक्ट्रिशियन कम ट्यूबबेल आपरेटर की सेवायें।	सेवा प्रदाता के माध्यम से जॉब आउटसोर्सिंग द्वारा।	श्रम विभाग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर निर्धारित पारिश्रमिक देय होगा।
कुल पद	26		

4- उक्तानुसार पद सृजन की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन हैः-

(4.1)-सृजित पदों में से प्रबन्धक (हैचरी/फिशरीज फार्म) के पद वेतनमान/अर्हताओं का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा आगामी कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत करते हुए अनुमोदनोपरान्त वेतनमान आदि की पुष्टि हेतु वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 का अभिमत प्राप्त किया जायेगा।

(4.2)-प्रबन्धक (हैचरी/फिशरीज फार्म) की शैक्षिक योग्यता हेतु राजकीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय/संस्था में हैचरी/फिशरीज फार्म पर दो वर्ष के अनुभव के संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त किसी मान्यता प्राप्त संस्था का अंकन किया जायेगा।

(4.3)-प्रबन्धक (हैचरी/फिशरीज फार्म) का पद नवीन होने के कारण उक्त नवीन पद के सृजन के संबंध में अर्हता, भर्ती की विधि एवं वेतनमान का उल्लेख करते हुए उक्त पदों की नियमावली को मा0 मंत्रि परिषद से अनुमोदित कराया जायेगा।

(4.4)-पदों का सृजन न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर सुनिश्चित करते हुए इन पदों की आवश्यकता एवं औचित्य का निर्धारण किये जाने का पूर्ण दायित्व उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा का होगा।

(4.5)-उक्त पदों पर भर्ती एवं चयन की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया एवं नियमों के अन्तर्गत की जायेगी।

(4.6)-तालिका-01 के अनुसार स्थायी पदधारकों को वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4.7)-इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विश्वविद्यालय में कार्यरत वित्त अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो, तो संबंधित वित्त अधिकारी का दायित्व होगा कि मामले का पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- E-1-133-X-2023-24, दिनांक 21.08.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी (प्रथम)/लेखा अनुभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. निदेशक (प्रशासन एवं विकास) पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
5. जिलाधिकारी, मथुरा/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।